क्रमांक 30/14/80-एस

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

आयुक्त, अम्बाला/हिसार मण्डल,
सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।

दिनांक चण्डीगढ़ 23 मई, 1980

विषय :—इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 14303-एस-71/5968 दिनांक 30-3-71, क्रमांक 2390-3एस-72/10913 दिनांक 19-4-1972 तथा क्रमांक 3062-3एस-73 दिनांक 14-8-1973 की ओर दिलाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में उप मण्डल अधिकारियों (ना0), उपायुक्तों एवं मण्डलीय आयुक्तों द्वारा टिप्पणी रिकार्ड करने के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा पुनः विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में कथित सिविल अधिकारी, इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में अपनी टिप्पणी नहीं लिखेंगे । यह निर्णय वर्ष 1980-81 के लिए लिखी जाने वाली रिपोर्टों से लागू होगा । इस विषय पर समय समय पर जारी की गई सभी हिदायतों को तदनुसार संशोधित समझा जाए ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,
हस्ताक्षर
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 30/14/80-एस दिनांक चण्डीगढ़ 23 मई, 1980

एक एक प्रति निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें);
2. प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण (सिंचाई);
3. प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण (जन स्वास्थ्य) ।

हस्ताक्षर

उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति सभी वित्तायुक्तों तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अशा: क्रमांक 30/14/80-एस/ दिनांक चण्डीगढ़ 23 मई, 1980 ।